न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 52/2017
वाद दायरी दिनांक : 17/05/2017
निर्णय दिनांक : 25/07/2018

1. गोविन्द पुत्र गोरधनलाल उम्र 42 साल जाति दर्जी निवासी साखून तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
2. सावरिया पुत्र नोरतमल उम्र 31 साल जाति दर्जी निवासी साखून तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

—— वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति दर्जी निवासी साखून तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
2. राधादेवी पत्नि गोरधन जाति दर्जी निवासी साखून तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
3. सीता पत्नि नोरतमल जाति दर्जी निवासी साखून तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
4. सीता पुत्री गोरधन जाति दर्जी निवासी साखून तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
5. कोकीला देवी पुत्री गोरधन जाति दर्जी निवासी साखून तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
6. मंजू देवी पुत्री गोरधन जाति दर्जी निवासी साखून तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
7. तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

वाद घोषणा

(अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – **श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी**
श्री रामजीलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

उपखण्ड मजिस्ट्रेट दूदू

श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 ल. 6

प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 25/07/2018

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 154 के आराजी खसरा नम्बर 3334 रकबा 0.5700 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.5700 हैक्टेयर व खाता संख्या 328 के आराजी खसरा नम्बर 3092 रकबा 0.8100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3093 रकबा 1.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3094 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3095 रकबा 0.4300 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 2.5600 हैक्टेयर व खाता संख्या 608 के आराजी खसरा नम्बर 3121 रकबा 0.7700 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.7700 हैक्टेयर वाके ग्राम साखून तहसील दूदू जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2 दर्ज चला आ रहा है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है एवं खातेदार काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है विवादित भूमि का प्रथम पर्चा भंवरलाल पुत्र जगनाथ के नाम से आया था तथा भंवरलाल के स्वर्गवास होने के पश्चात गोरधनलाल एवं मोहनलाल के नाम खातेदारी दर्ज हुई थी एवं गोरधनलाल के स्वर्गवास होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 794 वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे आराजी दर्ज हो गयी। खातेदारी भंवरलाल के स्वर्गवास के पश्चात गोरधनलाल व मोहनलाल के नाम से समस्त राजस्व रिकार्ड मे अंकन हो चुका है परन्तु विगत 45–50 वर्ष से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई अता पता ठिकाना नही है और ग्राम साखून से अन्यत्र कही चला गया है जिसकी काफी खोजबीन करने के पश्चात भी कोई अता पता ठिकाना व मालुमात नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 जीवित है या स्वर्गवास हो चुका है इस तथ्य की जानकारी भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 को नही है। वादीगण ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन करने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 1 के जीवित होने के समाचार प्राप्त नहीं हुये है। तथा न ही विगत 45–50 वर्षो से वादीगण व गांव के लोगो ने देखा है। इस प्रकार वादीगण ने विश्वास कर लिया है कि प्रतिवादी संख्या 1 दुनिया मे नही रहा है और कानून की उपधारणा की जायेगी कि विगत 7 वर्ष से अधिक समय में किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल को कभी भी जीवित नही देखने से उसका स्वर्गवास हो चुका है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत यह उपधारणा की जावेगी कि प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति दर्जी निवासी साखून अब जीवित नही है और उसके विधिक वारिसान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वादीगण उसके नाम दर्ज खातेदारी को नाम लगाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 एवं

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

गोरधन लाल के वारिसान वादीगण होने से मोहनलाल के नाम दर्ज आराजी पर वादीगण मौके पर काबिज काश्त है क्योकि मोहनलाल अविवाहित ही अपने बडे भाई गोरधनलाल के साथ संयुक्त परिवार मे ही संयुक्त रूप से रहा तथा वर्तमान में 45–50 वर्षो से कही चला गया जिसका वर्तमान मे कोई अता पता ठिकाना नही है। विवादित आराजी पर विगत 45–50 वर्षो से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त नही रहा है और वादीगण के पिता/दादा गोरधनलाल का आराजी पर कब्जा रहा और वर्तमान में वादीगण मौके पर मोहनलाल के हिस्से की आराजी पर भी लगातार काबिज काश्त है तथा खातेदार मोहनलाल की खातेदारी का अवसान हो चुका है तथा लोंग एन एडवर्थ पजेशन के आधार पर वादीगण धारा 63 (4) रा. टी. एक्ट के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। विवादित भूमि संयुक्त परिवार की मौरूसी मुश्तर्का सम्पति होने से एवं वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान होने से अर्थात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी के वारिस होने से घोषणा करवाने के अधिकारी है। विवादित आराजी वादीगण के नाम दर्ज नही होने से वादीगण राज्य सरकार द्वारा देय लाभो से वंचित हो रहे है जबकि वादीगण का बाई बर्थ पजेशन चला आ रहा है। वादीगण ने उक्त आराजीयात नाम लगवाने के लिए ग्राम पंचायत, हल्का पटवारी व तहसीलदार जी से सम्पर्क किया दिनांक 05/05/2017 को नाम लगाने से इन्कार कर दिया तथा श्रीमान के समक्ष वाद पत्र पेश करने हेतु हिदायत दी जिससे उक्त वाद पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी के वादीगण बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। क्यो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यू हो चुकी है जिसके एकमात्र वारिस/उत्तराधिकारी वादीगण ही है।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 18/05/2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर एवं कैम्प कोर्ट "न्याय आपके द्वार" मुकाम साखून पर पेश हुयी। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की ओर से श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित नही हुआ। पटवारी हल्का साखून की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का ग्राम साखून से 30–40 साल पूर्व चला जाना अवगत करवाया गया तथा जीवित होने के समाचार भी नही होना बताया

Scanned by CamScanner

गया। तामील रिपोर्ट पर गांव के व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 1 की तामिल जरिये अखबार साया से करवाये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 21/06/2017 को अधिवक्ता वादी द्वारा अखबार स्याहा की प्रति पेश की गयी जो शामिल पत्रावली की गयी। प्रतिवादी संख्या बावजूद अखबार स्याहा उपस्थित नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता वादी की ओर से गवाहों के शपथ–पत्र पेश किये गये। गवाह पी.डब्ल्यू 1 गोविन्द, पीडब्लयू 2 करणा, पी.डब्ल्यू 3 किशनलाल, पी.डब्लयू 4 नाथूलाल, पी.डब्लयू 5 श्रवण उपस्थित हुये एवं इनके बयान लिये गये। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया गया। साक्ष्य वादीगण बन्द की गयी। वकील प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 की ओर से साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 व पैरोकार सरकार द्वारा की गयी बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 154, 328, 608 ग्राम साखून, पटवार मण्डल साखून, तहसील दूदू, जांच रिपोर्ट थानाधिकारी थाना नरैना, बयान गवाहान तथा तहसीलदार दूदू की तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 ग्राम साखून, पटवार मण्डल साखून, तहसील दूदू के खाता संख्या 154, 328 व 608 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदार के रूप में हिस्से अनुसार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के कथन के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रश्नगत भूमि का पर्चा बन्दौबस्त वर्ष 2011 से 2029 के अनुसार भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति दर्जी, सा0देह के नाम से आया था। भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ जाति दर्जी के स्वर्गवास के पश्चात् गोरधन पुत्र भंवरलाल एवं मोहनलाल पुत्र भंवरलाल के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुयी एवं गोरधन पुत्र भंवरलाल के स्वर्गवास के पश्चात् प्रश्नगत भूमि नामान्तरकरण संख्या 794 से गोरधन पुत्र भंवरलाल के विधिक वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के नाम दर्ज हुयी। अधिवक्ता वादीगण द्वारा बहस के दौरान यह कथन किया गया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम साखून, पटवार मण्डल साखून, तहसील दूदू की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 154 में गोरधन पुत्र भंवरलाल के

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 का हिस्सा 1/2 खातेदार के रूप में नाम अंकित है तथा शेष 1/2 हिस्सा मोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति दर्जी के नाम अंकित है। खाता संख्या 308 ग्राम साखून में मोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति दर्जी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 608 ग्राम साखून मे भी मोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति दर्जी हिस्सा 1/2 के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि विगत 45–50 वर्षो से प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल का कोई पता नही है और वह ग्राम साखून से अन्यत्र कही चला गया है, जिसकी काफी तलाश किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नही हो पायी है। प्रतिवादी संख्या 1 जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, इस तथ्य की जानकारी भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 को नही है। अधिवक्ता वादीगण के इस कथन की पुष्टि पटवारी हल्का साखून द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 18/05/2017 से होती है। यद्यपि तहसीलदार, दूदू द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में इस तथ्य का कोई अंकन नही किया गया है। अधिवक्ता वादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि पूर्व में उक्त प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना नरैना दर्ज नही करवायी जा सकी, क्योंकि वादीगण को इस बाबत जानकारी का अभाव था एवं अज्ञानतावश प्रतिवादी संख्या 1 के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज नही करवायी जा सकी। अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति दर्जी निवासी साखून, पुलिस थाना नरैना करीब 40–50 वर्ष पूर्व लापता हो चुका है। अतः न्यायहित में पुलिस थाना नरैना से प्रकरण में जांच करवायी जानी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में थानाधिकारी नरैना को जांच कर रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। थानाधिकारी नरैना द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गयी जो शामिल पत्रावली की गयी। थानाधिकारी नरैना की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1050 दिनांक 12/03/2018 के अनुसार "प्रार्थना पत्र की जांच महेश कुमार HC-327 से करवायी गयी तो HC ने दौराने जांच गांव साखून में गुप्त तरीके से व लापता व्यक्ति मोहनलाल के परिवारजनों–पडौसियान से पूछताछ कर श्री गोपाल पुत्र श्री गुलाबचन्द दर्जी उम्र 50 साल, श्री मदनलाल बोहरा पुत्र श्री गौरीशंकर, जाति बोहरा उम्र 85 साल, अब्दुल सत्तार पुत्र जमाल खां मुसलमान उम्र 59 साल व लापता मोहनलाल की भाभी राधादेवी पत्नि स्व. गोरधन दर्जी, चाचा फूलादसहाय दर्जी उम्र 73 साल निवासियान साखून थाना नरैना जिला जयपुर से लापता मोहनलाल के बारे में पूछताछ कर बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली पेश किये गये। सभी परिवारजनों व गांववालों ने बताया कि भंवरलाल दर्जी निवासी साखून के दो लडके बडा गोरधन एवं छोटा मोहनलाल व बहन लाडा थे। तीनों की शादियां हो

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

चुकी थी। मोहनलाल पुत्र भंवरलाल दर्जी के शादी के बाद एक लडकी पैदा हुई जिसकी एक साल की उम्र मे मृत्यु हो गई। उस समय मोहनलाल की उम्र 24–25 साल थी। वह घर से लापता हो गया। परिवारजनों ने काफी तलाशा पर मोहनलाल नही मिला। गांववालों में चर्चा है कि मोहनलाल साधू बन गया था उसके बाद उसकी पत्नि दशरथी ने नाता विवाह कर लिया था। गवाहों के अनुसार आज मोहनलाल की उम्र 75 से 80 साल के लगभग हो गयी है व पिछले 50 वर्षो में अपने घर वापस नही आया है। उसके बडे भाई गोरधन व बहन लाडा की मृत्यु हो चुकी है। करीब 40–50 वर्षो में मोहनलाल का घर वापस आने व कही पर रहने का समाचार नहीं मिलने के कारण मोहनलाल पुत्र भंवरलाल की मृत्यु होना मानकर एक वर्ष पूर्व गांव समाज के लोगो ने व रिश्तेदारों ने इकट्ठा होकर शीशीपूजन सामाजिक रीतिरिवाज से कर पगडी की रस्म मोहनलाल के भतीजे गोविन्द के कर दिया था लेकिन मोहनलाल पुत्र भंवरलाल दर्जी निवासी साखून को अंदाजे से ही मरा मान रहे है। कोई मृत्यु होने सम्बन्धी दस्तावेजी साक्ष्य नही है। कब कहां कैसे मृत्यु हुई इसका कोई मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य साक्ष्य परिजनों व अन्य किसी ने पेश नही किया है।" पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का रिपोर्ट, साक्ष्य गवाहान व थानाधिकारी, नरैना से प्राप्त रिपोर्ट से यह पुष्टि होती है कि प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति दर्जी पिछले काफी वर्षो से लापता है एवं उसके बारे में उसके परिवारजनों को कोई जानकारी नही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 108 के अनुसार "यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नही गया हैं, जीवित है परन्तु जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ नही सुना है, जिन्होने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वभाविकतया सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि जीवित है उस व्यक्ति पर चल जात है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है।" न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1947 अवध 174 : 22 लखनऊ 164 अनुसार "धारा 108 में उपधारणा करने के लिए पटवारी का बयान व तहसीलदार की रिपोर्ट कि कथित व्यक्ति जिसका नाम खेवट में दर्ज था वह नही सुना गया और कोई आदेश सबडिवीजनल ऑफिसर का यू0पी0 लैंड रिकार्ड मैनुअल पैरा 176 (8) के अन्तर्गत जिसमें यह शब्द मकरूद–उल खबर उस व्यक्ति के नाम के विरूद्ध खेवट में लिखे जावे वह सब साक्ष्य में स्वीकृत होगा क्योंकि यह वह कार्य है जो कि नियमों के अन्तर्गत सरकारी अनुक्रम के तहत कथित अफसरों द्वारा किए गए है।" उपुर्यक्त विवेचन से न्यायालय के समक्ष तीन मुख्य विचारणीय बिन्दु प्रकट होते है। प्रथम महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि प्रश्नगत आराजीयात जिसके सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया है, का खातेदार पिछले सात वर्ष से अधिक समय से लापता है। उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में न्यायालय का

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

यह अभिमत है कि पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तोवज, साक्ष्य गवाहान व थानाधिकारी, नरैना की रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल पुत्र भंवरलाल जो कि प्रश्नगत आराजीयात में हिस्सा 1/2 का खातेदार है पिछले 45–50 वर्षो से लापता है एवं इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को ना तो देखा गया एव ना ही सुना गया। वह कहां है, जीवित है या मर चुका है इस सम्बन्ध में भी कोई जानकारी उसके परिवारजनों एवं अन्य व्यक्तियों से प्राप्त नहीं होती है। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 जो 40–50 वर्षो से लापता है एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अन्तर्गत वर्णित अवधि सात वर्ष, जो कि न्यूनतम है, से अधिक समय से प्रतिवादी संख्या 1 लापता है। द्वितीय विचारणीय बिन्दु यह है कि प्रश्नगत आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है। उक्त सम्बन्ध में पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 154, 328 व 608, पर्चा बन्दौबस्त सम्वत् 2011 से 2029 का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजीयात पूर्व में भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ कौम दर्जी के नाम से अंकित है। भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ कौम दर्जी के स्वर्गवास के पश्चात भंवरलाल के पुत्र गोरधन व मोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। गोरधन के स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्से अनुसार दर्ज है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजीयात है। तृतीय एवं महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6, प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार विधिक वारिसान है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6, प्रतिवादी संख्या 1 के सगे भाई गोरधन के वारिसान है। प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल पिछले 45–50 वर्षो से लापता है एवं उसके जीवित या मृत्यु के बारे में कोई जानकारी उसके परिवारजनों व ग्रामवासियों को नही है। प्रतिवादी संख्या 1 विवाहित था एवं एक पुत्री का पिता था, परन्तु थानाधिकारी नरैना की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री की मृत्यु जन्म से एक वर्ष पश्चात् ही हो गयी थी एवं इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल लापता हो गया था जिसके बाद उसकी पत्नि द्वारा नाता विवाह कर लिया गया था। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान नही है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 प्रतिवादी संख्या 1 के भाई के विधिक वारिसान है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वितीय श्रेणी के वारिसान है।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

उपर्यक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या मोहनलाल पुत्र भंवरलाल पिछले 50 वर्षो से लापता है, जिसके जीवित या मृत होने का कोई साक्ष्य सबूत अब तक प्राप्त नही हुआ है न ही प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय के समक्ष अखबार साया के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ हैं एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6, प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान घोषित करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 द्वितीय श्रेणी के वारिस है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल पुत्र भंवरलाल के नाम से दर्ज विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 154 के आराजी खसरा नम्बर 3334 रकबा 0.5700 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.5700 हैक्टेयर, खतौनीसंख्या 328 के आराजी खसरा नम्बर 3092, 3093, 3094, 3095 कुल किता 04 कुल रकबा 2.5600 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 608 के आराजी खसरा नम्बर 3121 रकबा 0.7700 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.7700 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25/07/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट दूदू

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-[illegible]

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

कोर्ट अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ई
श्री त्रिलोक चन्द मीना (RAS)

फरीकैन गोविन्द उ0 गोरधन लाल सांवरिया पुत्र नोरतमल दर्जी कि0 सायून बनाम 1. मोहनलाल पुत्र भंवरलाल दर्जी
2. राधादेवी w/o गोरधन
3. सीता w/o नोरतमल दर्जी
दावा बाबत धोखाधड़ी मुकदमा नं. 52/2017 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह गणावत RSO आदेश I रूल 7

हाजिरी रू मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री त्रिलोक सिंह RSO

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद इडुमी किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 मोहन-लाल पुत्र भंवरलाल के नाम से दर्ज विवादित आराजीयात खसरा नं संख्या 54 के आ0 ख0 नं. 3334 रकबा 0.5700 है0 कुल बिघा 01 कुल रकबा 0.5700 है0 खसरा नं0 328 के आ0 ख0 नं. 3092, 3093, 3094, 3095 कुल बिघा 04 कुल रकबा 2.5600 है0 खसरा नं0 608 के आ0 ख0 नं. 3121 रकबा 0.7700 है0 कुल बिघा 01 कुल रकबा 0.7700 है0 वाके ग्राम सायून तह0 33 जिला जयपुर से वादीगण को बतौर-बरक्स खातेदार शरहदार घोषित किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद नरीरह का अदा करें

तारीख अदायगी सक 25-07-2018 सन् को

दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

दस्तखत
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
कोट जिला जयपुर

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner